परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 18 जून, 2015 पर आधारित है।

परियोजना डेटा शीट

परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त सूचना होती है। चूंकि पीडीएस एक प्रगति अधीन कार्य होता है, कुछ सूचनाएं इसके प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं हो सकती हैं, परंतु इनके उपलब्ध होने पर शामिल कर ली जाएंगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनन्तिम और संकेतात्मक है।

पीडीएस सृजन तिथि	–
पीडीएस अद्यतनीकरण की तिथि	22 मई 15

परियोजना का नाम	असम विद्युत सेक्टर निवेश कार्यक्रम – किश्त 1
देश	भारत
परियोजना / कार्यक्रम संख्या	47101-002
स्थिति	अनुमोदित
भौगोलिक अवस्थिति	–

इस प्रलेख में किसी कंट्री कार्यक्रम या रणनीति तैयार करने, किसी परियोजना के वित्तपोषण, अथवा किसी विशेष भूभाग अथवा भौगोलिक क्षेत्र को कोई पदनाम देने, अथवा संदर्भित करने में एशियाई विकास बैंक का आशय किसी भूभाग अथवा क्षेत्र की स्थिति के बारे में कानूनी या अन्य प्रकार से राय प्रकट करना नहीं है।

सेक्टर	ऊर्जा
उप सेक्टर	पारंपरिक ऊर्जा जनन
रणनीतिक कार्यमदें	पर्यावरण अनुकूल विकास (ईएसजी) समावेशी आर्थिक विकास (आईईजी)
परिवर्तन के प्रेरक	अभिशासन तथा क्षमता विकास (जीसीडी)
लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण संवर्ग	संवर्ग 4: कोई लैंगिक तत्व नहीं (एनजीई)

वित्तपोषण

सहायता का प्रकार/रीति	अनुमोदन संख्या	निधीयन का स्रोत	अनुमोदित राशि (हजार डालर)
ऋण	3140	साधारण पूंजी संसाधन	50,000
–	–	प्रतिपक्ष	12,000
TOTAL योग			**US$ 62,000**

सुरक्षोपाय संवर्ग

सुरक्षोपाय संवर्गों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें
http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories

पर्यावरण	B
अस्वैच्छिक पुनर्वास	C
स्वदेशी लोग	C

पर्यावरण तथा सामाजिक पहलुओं का सारांश

–
पर्यावरण पहलू

–
अस्वैच्छिक पुनर्वास

–
स्वदेशी लोग

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान
स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श तथा उनकी प्रतिभागिता जारी है तथा परियोजना प्रोसेसिंग तथा डिजाइन के दौरान जारी रहेगी।

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान
परियोजना कार्यान्वयन के दौरान स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श तथा उनकी प्रतिभागिता की व्यवस्था की जाएगी।

वर्णन

असम विद्युत सेक्टर निवेश कार्यक्रम (कार्यक्रम) भारत के असम राज्य में जनन क्षमता संवर्धन तथा वितरण दक्षता सुधार उपपरियोजनाओं के निधीयन हेतु एक बहुखंडीय वित्तपोषण सुविधा (एमएफएफ) है। यह कार्यक्रम 300 मिलियन डालर का होगा, जिसकी पहली किश्त 50 मिलियन डालर होने की आशा है।

किश्त 1 निवेश के घटक (i) लाकवा में 60 मेगावाट के कम क्षमता के गैस टर्बाइन जनरेटरों का 70 मेगावाट के नए तथा अधिक क्षमता के संयंत्र द्वारा प्रतिस्थापन; तथा (ii) क्षमता निर्माण घटक जिसके तहत लाकवा पावर प्लांट प्रतिस्थापन हेतु परियोजना कार्यान्वयन सहायता, किश्त 3 जलविद्युत संयंत्र के लिए परियोजना तैयार करने हेतु सहायता तथा असम पावर जनरेशन कम्पनी (एपीजीसी) को कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत निष्पादक एजेन्सी स्टाफ (एपीजीसी तथा असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कार्पोरेशन, एपीडीसी) के लिए विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा। भावी किश्तों में शहरी असम में 120 मेगावाट जलविद्युत परियोजना तथा वितरण दक्षता सुधार परियोजनाएं शामिल हैं।

परियोजना तर्काधार और देश/प्रादेशिक रणनीति के साथ सम्बद्धता

असम पावर सेक्टर के सामने गंभीर चुनौतियां हैं: लगभग 37 प्रतिशत परिवारों को बिजली उपलब्ध है, जिसमें 5–6 घंटा प्रतिदिन पावर कट लगता है। वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2012 में विद्युत की शीर्ष मांग 1250 मेगावाट के विरूद्ध आपूर्ति 960 मेगावाट थी, जो 23 प्रतिशत की कमी दर्शाती है। राज्य के 700 चाय बागानों, जो असम की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, के लगभग 30 प्रतिशत को ग्रिड विद्युत की आपूर्ति की जाती है। शेष चाय बागानों में चाय विनिर्माण के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है, जबकि गैस की आपूर्ति नियमित नहीं है।

आपूर्ति पक्ष में, असम बिजली आयात के लिए अन्य राज्यों पर भारी रूप से आश्रित है, क्योंकि राज्य के विद्युत उत्पादन से लगभग 25 प्रतिशत मांग की पूर्ति की जाती है। व्यस्ततम अवधियों में असम अपनी कुल मांग की 15 प्रतिशत बिजली स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से बहुत ऊंची लागत पर खरीदने के लिए बाध्य होता है। राज्य की विद्युत कम्पनियों का घटिया वित्तीय प्रदर्शन राज्य की अर्थव्यवस्था पर बोझ बनता है।

वित्तीय वर्ष 2020 तक विद्युत मांग बढ़कर 2200 मेगावाट होने का अनुमान है। विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ाने तथा बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में बड़े निवेश की जरूरत है। राज्य की विद्युत वितरण कम्पनी, असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी (एपीडीसी) को वितरण हानि कम करने में कुछ सफलता मिली है। वित्तीय वर्ष 2001 में 40 प्रतिशत वितरण हानि अब वित्तीय वर्ष 2012 में 24 प्रतिशत रह गई है। तथापि, वितरण हानि प्रणाली के समुन्नतन के बिना, अपर्याप्त निवेश तथा घटिया प्रबंधन पद्धतियों के चलते एक जगह स्थिर हो गई है।

असम विद्युत विनियामक आयोग (एईआरसी) द्वारा अनुमोदित वितरण हानि में कमी के लक्ष्यों की पूर्ति में एपीडीसी की अक्षमता के परिणामस्वरूप राजस्व में कमी आई है। एपीडीसी ने वित्तीय वर्ष 2014 हेतु वितरण हानि 23 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2016 हेतु 22 प्रतिशत की मंजूरी हेतु याचिका प्रस्तुत की है। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए पूंजी निवेश तथा वितरण प्रणाली प्रबंधन में सुधार अपेक्षित हैं।

राज्य की विद्युत कम्पनियां असम पावर जनरेशन कम्पनी (एपीजीसी) तथा एपीडीसी के पास ऋण सेवा दायित्वों की पूर्ति, अपनी पूंजी आस्तियों में निवेश तथा स्टाफ क्षमता निर्माण के लिए पर्याप्त रोकड़ प्रवाह उपलब्ध नहीं है। पावर सेक्टर के घटिया कार्यप्रदर्शन की व्यापक आर्थिक जटिलताओं में कम प्रतिस्पर्धा तथा उत्पादकता, रोजगार के कम अवसर, कम निजी क्षेत्र निवेश तथा संसाधनों का अकुशल उपयोग शामिल हैं।

आपूर्ति अभाव के कारण उपभोक्ता अधिक महंगी, न्यून–दक्ष तथा अधिक प्रदूषण पैदा करने वाले ऊर्जा स्रोत जैसेकि छोटे डीजल जनरेटर सेट इत्यादि का उपयोग करने के लिए मजबूर होते हैं। असम सरकार ने पावर सेक्टर की समस्याएं हल करने के लिए एडीबी की सहायता से एक पावर सेक्टर मास्टर प्लान तैयार किया है। असम के पावर सेक्टर के लिए वित्तीय वर्ष 2012 – वित्तीय वर्ष 2022 के लिए कुल लगभग 3.5 बिलियन डालर का निवेश अपेक्षित है। निवेश कार्यक्रम में जरूरतो की

प्राथमिकता के आधार पर कुल मांग का एक हिस्सा चुना गया है। 430 मिलियन डालर का यह निवेश कार्यक्रम असम पावर सेक्टर की कुल निवेश मांग का लगभग 12 प्रतिशत निरूपित करता है।
इसके द्वारा निम्न की भौतिक आधारसंरचना विकास हेतु निवेशों का वित्तपोषण किया जाएगा (i) लाकवा में कम क्षमता के गैस–फायर्ड जनरेटिंग प्लांट के प्रतिस्थापन द्वारा राज्य के भीतर उत्पादन क्षमता वृद्धि तथा लोअर कोपिली में एक नए जलविद्युत संयंत्र का निर्माण; तथा (ii) विद्युत वितरण प्रणाली के नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण द्वारा विद्युत वितरण हानि कम करने तथा दक्षता सुधार जारी रखना। इस कार्यक्रम के तहत विद्युत उपयोगिताओं की दीर्घावधि संस्थानिक तथा वित्तीय स्थिरता हासिल करने के लिए गैरभौतिक घटकों का भी वित्तपोषण किया जाएगा।

विकास प्रभाव

असम में ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों की वर्द्धित क्षमता और दक्षता

परियोजना परिणाम

परिणाम का वर्णन	परिणाम की दिशा में प्रगति
लाकवा पावर प्लांट में वर्द्धित क्षमता और दक्षता	–

आउटपुट और कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का वर्णन	कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां तथा मुद्दे)
उत्पादन प्रणाली समुन्नत तथा विस्तारित एपीजीसी एवं एपीडीसी की संस्थानिक क्षमता सुदृढ़ीकृत की गई	–

Status of Development Objectives विकास उद्देश्यों की स्थिति	**Status of Operation/Construction** प्रचालन/निर्माण की स्थिति
–	–

Material Changes
महत्वपूर्ण परिवर्तन

–

व्यवसाय अवसर

प्रथम सूचीयन की तिथि	2 जून 14

परामर्शी सेवाएं

इसमें निम्न के लिए 5 परामर्शदाता फर्म पैकेज हैं: (i) लेखांकन, लेखापरीक्षा, बजट एवं लागत लेखांकन और सामग्री प्रबंधन मैनुअल्स तैयार करना; (ii) पावर सेक्टर यूटीलिटीज के लिए क्षमता निर्माण तथा मानव संसाधन विकास; (iii) लोअर कोपिली जलविद्युत परियोजना के लिए परियोजना तैयारी निविदा विकास तथा अधिनिर्णय प्रबंधन प्रक्रिया; (iv) लाकवा प्रतिस्थापन गैस इंजन आधारित पावर प्लांट के लिए परियोजना प्रबंधन तथा निर्माण निरीक्षण; और (v) असम पावर जनरेशन कम्पनी के लिए उद्यम संसाधन योजना कार्यान्वयन तथा आधारसंरचना विकास। लोअर कोपिली जलविद्युत परियोजना तथा लाकवा प्रतिस्थापन गैस इंजन आधारित पावर प्लांट के लिए उद्यम संसाधन योजना तथा पर्यावरण एवं सामाजिक सुरक्षोपायों हेतु तीन पृथक परामर्शदाताओं की भर्ती की जा रही है।

अधिप्राप्ति

निवेश कार्यक्रम के तहत वित्तपोषित किए जाने वाले सामान, उपस्कर तथा सिविल कार्यों की अधिप्राप्ति एडीबी अधिप्राप्ति दिशानिर्देश (2013 समय समय पर संशोधितानुसार) के अनुसार की जाएगी। सिविल कार्यों तथा टर्नकी संविदाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलीदान का उपयोग किया जाएगा। अग्रिम संविदा–कार्य को 26 अगस्त, 2013 को मंजूरी प्रदान की गई थी। परियोजना प्रबंधन में सहायता के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जाएगी। किश्त 1 में गैस संयंत्र प्रतिस्थापन के लिए एक प्रमुख टर्नकी संविदा होगी।

अधिप्राप्ति तथा परामर्श–सूचनाएं

http://www.adb.org/projects/47101-002/business-opportunities

समयसारणी

संकल्पना स्वीकृति	–
तथ्य–अन्वेषण	–
प्रबंधन समीक्षा बैठक	18 फरवरी, 14
अनुमोदन	11 जुलाई, 14

उपलब्धियां

अनुमोदन सं.	अनुमोदन	हस्ताक्षरण	प्रभावी तिथि	समापन		
				मूल	संशोधित	वास्तविक
ऋण 3140	11 जुलाई, 14	20 फरवरी, 15	12 मई, 15	30 जून, 19	–	–

उपयोग

तिथि	अनुमोदन संख्या	एडीबी (हजार अमेरिकी डालर)	अन्य (हजार अमेरिकी डालर)	शुद्ध प्रतिशत
संचयी संविदा अधिनिर्णय				
17 जून, 15	ऋण 3140	914	0	2.00%
संचयी संवितरण				
17 जून, 15	ऋण 3140	0	0	0.00%

उपसंविदाओं की स्थिति

उपसंविदाएं निम्नलिखित संवर्गों में वर्गीकृत की जाती हैं – लेखापरीक्षित लेखा, सुरक्षोपाय, सामाजिक, सेक्टर, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य। उपसंविदा अनुपालन का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंड लागू करने द्वारा किया जाता है: (i) संतोषजनक – इस संवर्ग में सभी उपसंविदाओं का अनुपालन अधिकतम एक अपवाद के साथ किया जा रहा है; (ii) आंशिक रूप से संतोषजनक – अधिकतम दो उपसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; (iii) असंतोषजनक – तीन या अधिक उपसंविदाओं का अनुपालन नहीं किए जाने पर इस संवर्ग में रखी जाती हैं। लोक संचार नीति 2011 के अनुसार परियोजना वित्तीय प्रकथनों हेतु उपसंविदा अनुपालन मूल्यांकन केवल उन परियोजनाओं पर लागू होता है, जिनका वार्ता हेतु आमंत्रण 2 अप्रैल, 2012 के पश्चात का है।

अनुमोदन सं.	वर्ग						
	सेक्टर		सेक्टर		सेक्टर		सेक्टर
ऋण 3140	–	संतोषजनक	संतोषजनक	–	संतोषजनक	संतोषजनक	–

सम्पर्क तथा अद्यतन विवरण

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	अजीज यूसुपोव (ayusupov@adb.org)
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	ऊर्जा प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक अभिकरण	–

लिंक्स

परियोजना वेबसाइट	http://www.adb.org/projects/47101-002/main
परियोजना प्रलेखों की सूची	http://www.adb.org/projects/47101-002/documents